

# निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निलंबन को चुनौती दी

माना जा रहा है कि, हाई कोर्ट में मुनेश की याचिका पर इस सप्ताह के अंत तक सुनवाई शुरू हो सकती है

जयपुर 8 अगस्त (कासं)। हैरिटेज नगर निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर ने अपने निलंबन आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट मुनेश की याचिका पर सप्ताह के अंत में सुनवाई कर सकता है। याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा है कि, गत 5 अगस्त को राज्य सरकार ने आनन-फानन में आदेश जारी कर मुनेश गुर्जर को पार्श्व और मेयर पद से निलंबित कर दिया। उस पर आरोप है कि, उनके पति सुशील गुर्जर ने पट्टे जारी करने के नाम पर उनकी उपस्थिति में दलाल से 2 लाख रुपए की रिश्वत ली और उनके घर से 40 लाख रुपए से अधिक की रकम बरामद हुई। याचिका में कहा गया कि,

पंचनामे में याचिकाकर्ता के बयान दर्ज है कि, घटना के 3 दिन पहले उनके (मुनेश गुर्जर) ससुर ने अपना प्लॉट बेचा था, जिसके रुपए घर में रखे थे। इसके अलावा ए.सी.बी. की रेड के समय उनके पति घर पर ही नहीं थे, बल्कि उन्हें उनके कार्यालय से पकड़कर लाया गया था। वहीं, एफ.आई.आर. में भी याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। इसके अलावा सह आरोपी बनाए गए नारायण सिंह के घर से बरामद 2 लाख रुपए का संबंध याचिकाकर्ता से नहीं है। याचिका में कहा गया है कि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि को निलंबित करने से पहले कम से कम प्रारंभिक जांच करनी चाहिए थी या उसका नाम एफ.आई.आर. में होना चाहिए था।

■ याचिका में मुनेश गुर्जर की ओर से कहा गया कि, “निर्वाचित जनप्रतिनिधि को निलंबित करने से पहले कम से कम प्रारंभिक जांच करनी चाहिए थी या उसका नाम एफ.आई.आर. में होना चाहिए था। इसके बावजूद गलत तथ्य पेश कर उन्हें निलंबित कर दिया गया और पक्ष रखने का भी मौका तक नहीं दिया।”

इसके बावजूद निलंबन आदेश में गलत तथ्य पेश कर उन्हें निलंबित कर दिया गया और उन्हें पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया। ऐसे में उनके निलंबन आदेश को रद्द कर उसे बहाल किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि, उसने नगर निगम महापौर के पद पर रहते हुए यू-माफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की

है। पिछले दिनों हैरिटेज नगर निगम के टैंडर को फाइलें अटकाने वाले तत्कालीन अतिरिक्त कमिश्नर राजेन्द्र वर्मा के खिलाफ कई पार्षदों के साथ मुख्यालय भवन में धरना भी दिया था। जिसके कारण कई लोगों ने उनके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाकर मेयर पद से हटाने का दबाव भी बनाया। उन्होंने कहा कि, ए.सी.बी. द्वारा सीज किए गए दस्तावेजों में

याचिकाकर्ता के बैंक खातों की डिटेल्स और लाइव इंश्योरेंस पॉलिसी व कुछ प्रॉपर्टियों के कागजात हैं, जो कि उनके पति सुशील गुर्जर के नाम पर हैं। मुनेश गुर्जर की ओर से अदालत में दायर की गई बहाली याचिका में तीन प्रमुख तथ्य रखे गए हैं। पहला तथ्य है कि, उनका खुद का नाम एफ.आई.आर. में नहीं है, जो भी दस्तावेज व फाइलें ए.सी.बी. ने सीज की हैं, वह उनकी स्वयं की नहीं हैं। ए.सी.बी. ने उन्हें फंसाने के लिए यह साजिश रची है, क्योंकि ए.सी.बी. की एफ.आई.आर. से भी यह साबित नहीं हो रहा है कि, महापौर अथवा उनके पति ने 2 लाख रुपये परिवारी से लिए हैं। क्योंकि परिवारी ने एफ.आई.आर. में दर्ज अपने बयानों

में यह कहा है कि, उसने 2 लाख रुपये की यह रकम नारायण सिंह गुर्जर को मिलकर दी थी। वहीं, दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से भी हाईकोर्ट में कैबिनेट दायर की जा चुकी है। ऐसे में अब हाईकोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर ही अंतरिम आदेश पारित करेगा।

गौरतलब है कि, गत दिनों ए.सी.बी. ने रिश्वत लेकर पट्टा जारी कराने की एवज में मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर और दलाल नारायणसिंह व अनिल को गिरफ्तार किया था। ए.सी.बी. कोर्ट ने मंगलवार को सुशील गुर्जर को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जबकि दोनों दलालों को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है।

## सार-समाचार

### अधिवेशन में हुए कार्यकारिणी चुनाव



अंकित शर्मा

राकेश कुमार

सतीश यादव

जयपुर (कासं)। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लोईज फेडरेशन का 10वां प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। जिसमें जी.एन.पारीक लगातार तीसरी बार विभिन्न महासचिव चुने गए। सतीश कुमार यादव लगातार 2008 के अध्यक्ष हैं और इस बार भी अध्यक्ष बने। बनवारी लाल नेहरा कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए और युवाओं को भी इस बार मौका मिला और इसमें फिनप्रोथ बैंक से राकेश कुमार उपमहासचिव और अंकित कुमार संयुक्त सचिव चुने गये। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लोईज फेडरेशन के महासचिव जी.पारीक ने बताया कि 6 अगस्त को कॉम्प्रेड एस.डी.खासपुरिया नगर, हटवाड़ा रोड सोडाला में राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लोईज फेडरेशन जयपुर का 10वां प्रांतीय अधिवेशन और कार्यकारिणी के चुनाव सम्पन्न हुए। जिसमें फिनप्रोथ कॉर्पोरेट बैंक से सतीश कुमार यादव को अध्यक्ष, राकेश कुमार उपमहासचिव और अंकित कुमार शर्मा को संयुक्त सचिव बनवारी लाल नेहरा (ग्रामीण बैंक) को कार्यकारी अध्यक्ष एवं जी.एन.पारीक (रिजर्व बैंक) को महासचिव चुना गया। इसके अलावा 3 सरंस्क, 4 उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 5 संयुक्त सचिव, 1 संगठन सचिव एवं बसन्त कुमार जम्मड, कोषाध्यक्ष, 1 सहायक कोषाध्यक्ष एवं 18 कार्यकारिणी सदस्य चुने गए।

### ‘तर्क से नहीं श्रद्धा से मिलते हैं परमात्मा’

जयपुर। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के दौरान व्यासपीठ से मदन मोहन महाराज ने कहा कि आज के समय में आधुनिकता को दौड़ में लोग अपने माता-पिता का बंटवारा महीने एवं दिनों के हिसाब से कर लेते हैं और इस भागदौड़ के समय में अपने माता-पिता की सेवा न करके उनको वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर करते हैं, जबकि श्रीमद् भागवत गीता में हजारों साल पहले कहा है कि माता-पिता की सच्ची सेवा ही ईश्वर प्राप्ति का साधन है। माता ही किसी भी इंसान की प्रथम गुरु होती है, उनकी आत्मा को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, यही श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की प्राप्ति का एक साधन बताया गया है। महाराज ने यह भी कहा कि परमात्मा तर्क से नहीं श्रद्धा से प्राप्त होते हैं, अगर व्यक्ति हर बात पर तर्क करेगा तो वह श्रद्धा को प्राप्त नहीं कर सकता और जहां तक तर्क एवं कुतर्क होंगे वहां श्रद्धा नहीं होगी, जहां श्रद्धा नहीं होगी वहां ईश्वर के प्रति ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य को नहीं हो सकती। कार्यक्रम संयोजक राजकुमार गर्ग मनोहरपुर वालों ने बताया कि महाराज ने प्रवचन में कहा कि मनुष्य के नेक इरादे मनुष्य को मजबूत बनाते हैं और जब एक इंसान मजबूत बनाता है तो वह प्राकृतिक एवं बौद्धिक संपदा को बढ़ाकर धर्म के रास्ते पर मानव धर्म को पूरा करता है। भागवत कथा के सह संयोजक गोवर्धन शर्मा एवं अमित गुप्ता ने बताया कि गौतम मैरिज गार्डन पर भागवत कथा के पश्चात प्रसादी का वितरण किया गया एवं तीसरे दिन की कथा में पूज्य व्यास जी महाराज मदन मोहन जी के द्वारा ध्रुव चरित्र एवं जड भगत चरित्र पहला चरित्र आदि पर श्रीमद्भागवतीता के अनुसार ज्ञान वर्षा होगी।

### कंजर समाज ने ज्ञापन सौंपा

जयपुर (कासं)। अखिल राजस्थान कंजर समाज महापंचायत प्रदेशाध्यक्ष ग्यारसीलाल गोवावत ने मुख्यमंत्री निवास पर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल राजस्थान कंजर समाज महापंचायत के प्रदेशाध्यक्ष ग्यारसीलाल गोवावत ने बताया कि राजस्थान राज्य में कंजर समाज की उपजाति कंजर,भाट, नट तीनों जातियों को मिलाकर समाज को मुख्यधारा में लाने व समाज का सर्वांगीण विकास के लिए विजोरी कांजरी कल्याण बोर्ड का गठन की मांग की गई है। इस पत्र में बताया गया कि कंजर समाज की जनसंख्या लगभग 10 से 15 लाख और पूरे भारत में लगभग एक करोड़ है, इसके बावजूद हमें उचित राजनैतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि कंजर समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। हमारे समाज के लोग स्वतंत्रता प्रिय और देश की आन बान शान के लिए मर मिटने वाले रहे हैं, गुरिल्ला युद्ध शैली से भारत के प्रमुख कबिलो ने मुगलों और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, उन कबिलो में हमारा कबिला भी प्रमुख था। चबराई अंग्रेजी सरकारों ने 1871 जयपुरमोपेसा कानून लागूकर बिना दलील अपील के अपराधी घोषित कर दिया और सेंटलमेंट जेलों में बंद करना शुरू कर दिया। जन्मजात अपराधी का स्टिगमा हमारे समाज के साथ कई कबीलों पर थोप दिया गया। तब से लेकर अब तक हमारा समाज राष्ट्र की मुख्यधारा से कट गया और आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा चला गया। वर्तमान में हमारा समाज वंचित, शोषित व पीड़ित होने के साथ ही सामाजिक भेदभाव का शिकार है।

### सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ हुआ

जयपुर। छोटीकाशी में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को श्री वीर हनुमान सेवा समिति और भगवा क्रांति दल की ओर से मालपुरा गेट की क्रिसान कॉलोनी के श्री हनुमान जी की बगीची, रानी का तालाब में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार डॉ. गोपाल शर्मा थे। आयोजकों ने डॉ. शर्मा का दुपट्टा और साफा पहनाकर स्वागत किया। डॉ. शर्मा ने इस मौके पर कहा कि देश और समाज पर मंडराने वाले बड़े संकटों के निवारण के लिए सामूहिक प्रयास ही कारण साबित होते हैं। सामूहिक रूप से किए गए हनुमान चालीसा के पाठ हमारे आत्मबल में वृद्धि करते हैं। और उसी आत्मबल के सहारे हम बड़े से बड़ा संकट आसानी से हल कर लेते हैं। रामदासबाबू के पूजन के साथ सखर हनुमान चालीसा पाठ प्रांभ हुए। भक्ति की मस्ती में झुमते हुए भक्तों ने हनुमान चालीसा की चौपाइयों से चालारण को गुंजायमान कर दिया। इसके बाद दोष प्रज्वलित कर महाआरती की गई। इससे पूर्व भक्तों के जय जय श्री राम के जयघोष लगाते हुए मंदिर पहुंचे। बड़ी संख्या में मातृ शक्ति भी आयोजन में शामिल हुईं। सभी का तिलक लगाकर स्वागत किया गया।

### राज्यपाल से शुभम की शिष्टाचार भेंट

जयपुर (कासं)। हाल ही में बुलारिया की उप राष्ट्रपति ने एक्टर, फिल्ममेकर एवं स्क्रीन राइट्टर शुभम मानव मिश्र को “वाइस प्रेसिडेंटल ह्यूमैटेरियन अचीवमेंट अवार्ड” देकर सम्मानित किया है। उन्हें ये अवार्ड पिछले सात साल में उनके द्वारा बनाई गई मानवीय मूल्यों पर आधारित फिल्मों तथा कलाकृतियों के लिए दिया गया है। इस अवसर पर शुभम ने राज्यपाल के राज्यालय कलराज मिश्र से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें इस बारे में जानकारी दी तथा कला से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। राज्यालय ने शुभम को डेर सारी बधाई दी एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर शुभम के पिता गजानंद मिश्र मानव भी शुभम के साथ मौजूद थे एवं उन्होंने हर्षित होकर अपने दादा स्वतंत्रता सेनानी स्व. पंडित गिरीश चंद्र मिश्र द्वारा लिखी गई गिरीश रामायण एवं भजनावली महामहिम राज्यपाल महोदय को भेंट की। पूर्व में शुभम को उनकी कला द्वारा किए गए मानवीय कार्यों में असाधारण योगदान के लिए कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स मिल चुके हैं।

### अरशद हुसैन दंगे गोवा में प्रस्तुति

जयपुर। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्रसिद्ध राजस्थान एवं यहां पर होने वाली शाही शादियों के बारे में गोवा में आयोजित होने वाले इवेंट मैनेजर्स एंड प्लानर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करेगे व डेस्टिनेशन राजस्थान पर प्रेजेंटेशन भी देंगे। इवेंट मैनेजर्स एंड प्लानर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री श्याम बरसानी ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में पूरे भारत से लगभग 2500 डेलिगेट्स हिस्सा ले रहे हैं जिसमें डेस्टिनेशन वेडिंग एवं इवेंट मैनेजमेंट के विस्तार के लिए विभिन्न विषयों से चर्चा की जाएगी। इस दो दिवसीय चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधित्व डेस्टिनेशन वेडिंग एवं इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े विषयों पर अपनी राय देंगे, साथ ही इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है।

## 3100 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकलेगी तिरंगा रैली

जयपुर (कासं)। आजादी के 76वें अमृत महोत्सव पर 15 अगस्त को दोपहर दो बजे सीकर रोड डेहर के बालाजीस्थित सियाराम बाबा की बगीची से 3100 फीट लंबे तिरंगे के साथ विशाल तिरंगा रैली निकाली जाएगी। इसके बहुरंगी पोस्टर का विमोचन वरिष्ठ पत्रकार डॉ. गोपाल शर्मा ने किया। आयोजन से जुड़े लोगों ने डॉ. शर्मा को तिरंगा रैली में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस मौके पर डॉ. शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा रैली का यह आयोजन ऐतिहासिक होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल होकर देश को और अधिक मजबूत और समर्थ बनाने का संकल्प लेना चाहिए। डेहर का बालाजी व्यापार मंडल के अध्यक्ष डॉ. रवि जिंदल ने बताया कि तिरंगा यात्रा जयपुर में एक नया इतिहास रचने जा रही

है। महंत हरिशंकरदास वेदांती के सान्निध्य में तिरंगा रैली सियाराम बाबा की बगीची से प्रारंभ होकर पथनंबर सात, भीमियां जी का मंदिर, प्रतापनगर चौराहा, माताजी का मंदिर, केडिया पैलेस चौराहा, मुरलीपुरा स्कीम, रोड नंबर दो होते हुए सन एंड न्यू परिसर पहुंचेगी। गौसेवी संत प्रकाशदास महाराज देशभक्ति भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। टीम बनाकर जुटे कार्यकर्ता: तिरंगा रैली का प्रचार-प्रसार करने के लिए सैकड़ों लोग टीम बनाकर अलग-अलग कॉलोनियों में जनसंपर्क कर रहे हैं। आयोजन में समाज के सभी वर्गों, संगठनों, समाजों और संस्थाओं के लोगों ने शामिल होने का विश्वास दिलाया है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 551 फीट लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा रैली निकाली गई थी।

## जी.एन.एम. प्रथम वर्ष मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी

जयपुर। राजस्थान नर्सिंग कॉसिल ने जी.एन.एम. प्रथम वर्ष मुख्य परीक्षा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम का परिणाम जारी कर दिया है। कॉसिल के रजिस्ट्रार डॉ. शशिकान्त शर्मा ने बताया कि इस साल

जून में आयोजित जी.एन.एम. प्रथम वर्ष मुख्य परीक्षा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम का परिणाम जारी कर दिया है। यह परीक्षा परिणाम राजस्थान नर्सिंग कॉसिल जयपुर की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

# जिन तीन लोगों के पास “लाइव बम” मिले, उन्होंने विशेष कोर्ट में दोषमुक्त करने की अर्जी लगाई

आरोपियों की ओर से अदालत में कहा गया कि “वह वर्ष 2008 में राजधानी जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट के केसेज में दोषमुक्त हो गए हैं, इसलिए उन्हें जिंदा बम प्रकरण में भी दोषमुक्त किया जाए”

जयपुर। जयपुर में वर्ष 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान जिंदा मिले बम के तीन आरोपियों मोहम्मद सैफ, सैफुर्हमान व सखर आजमी ने जयपुर बम ब्लास्ट मामले में समान तथ्य, समान गुणवत्ता के मुद्दों पर आरोपियों को अर्जी दायर की है।

इस अर्जी पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी। इसी दिन एटीएस की ओर से पूर्व एडीजी अरविन्द कुमार जैन व मीडियाकर्मी प्रशांत टंडन सहित

अन्य गवाहों का नाम जोड़ने व उन्हें तलब करने वाली अर्जी पर भी सुनवाई होगी।

आरोपियों की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि जयपुर बम ब्लास्ट से जुड़े आठ मुद्दों में समान तथ्य, समान गुणवत्ता व दस्तावेज हैं। इन मामलों में हाईकोर्ट उन्हें 29 मार्च 2023 को आदेश जारी कर दोषमुक्त कर चुका है। वहीं जयपुर बम ब्लास्ट से जुड़े मामले का यह सुस्थापित नियम है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता

■ ज्ञात रहे कि जयपुर में वर्ष 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान मोहम्मद सैफ, सैफुर्हमान व सखर आजमी के पास मिले थे जिंदा बम

का यह सुस्थापित नियम है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता

वाले कोर्ट द्वारा सुनवाई कर उन्हें दोषमुक्त किया जा चुका है तो उन्हीं समान तथ्यों पर किसी अन्य ऐसे अपराध के लिए आरोपी पर ट्रायल नहीं चलाई जाएगी। ऐसे में जिन तथ्यों, गवाहों व दस्तावेजों पर वे हाईकोर्ट से दोषमुक्त हो चुके हैं, उन्हीं तथ्यों के आधार पर उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चलाई जा सकती है। वहीं देश के संविधान में भी यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए एक बार से ज्यादा बार दंडित नहीं किया जा सकता।

इसलिए जिंदा बम मामले में उन्हें दोषमुक्त किया जाए।

गौरतलब है कि 13 मई 2008 को शहर में कई जगहों पर बम ब्लास्ट हुए थे और एक जगह से जिंदा बम बरामद किया गया था। मामले में विशेष अदालत ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। वहीं जिंदा मिले बम को लेकर भी जांच एजेन्सी ने समान धाराओं में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था।

## भांकरोटा क्षेत्र के शेल्टर होम में युवक की हत्या

जयपुर। राजधानी के भांकरोटा स्थित शेल्टर होम में दो लोगों ने एक व्यक्ति की लाठी-डण्डों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल रहे दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

थानाप्रभारी चैना राम के अनुसार मृतक की पहचान ओमप्रकाश (47) निवासी खातिरों की ढाणी के रूप में हुई पन्वुनैस से एसएमएस अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शरीर पर चोट के निशान देखे

हैं, जो साफ-सफाई का काम करते हैं। घटनाक्रम के अनुसार शाम करीब 6 बजे सतीश और अर्जुन का ओमप्रकाश से विवाद हो गया। मामूली विवाद ने इतना रूल पकड़ा कि गुस्साएं सतीश और अर्जुन उस पर लाठी-डण्डों से टूट पड़े। ओमप्रकाश के फिर और शरीर में आई गंभीर चोट के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। ओमप्रकाश को घायल देख अन्य लोगों ने उसे पन्वुनैस से एसएमएस अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शरीर पर चोट के निशान देखे

## एससी-एसटी वर्ग को मिल रहा न्याय : गहलोत

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राज्य सरकार को संवेदनशीलता और पुलिस की कार्रवाई से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग को न्याय सुनिश्चित हो रहा है। गहलोत ने मंगलवार को अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी अत्याचार के मामलों में पुलिस द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ बिना किसी दबाव एवं भयमुक्त होकर त्वरित अनुसंधान कर उन्हें न्याय दिलाया सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस पर आम जनता की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन कर अपराधियों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी-एसटी प्रकरणों में एफआर के बाद भी पुलिस द्वारा प्रकरणों के रिव्यू का दायर और बढ़ाया जाए। उन्होंने एससी-एसटी के लक्षित प्रकरणों में जांच कम से कम समय में पूरी करने, पुलिस में महिला का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक जनजागृति के लिए भी निर्देश दिए।

## दो अवैध हुक्का बार पर छापा, 2 संचालक दबोचे

जयपुर। जिला स्पेशल टीम जयपुर पूर्व ने सोमवार देर रात आदर्श नगर व जवाहर सर्किल इलाके में दो अवैध हुक्का बार पर छापेमारी की कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों हुक्का बार के संचालकों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हुक्का पी रहे 10 युवक-युवतियों का चालान किया है।

डीसीपी ईस्ट ज्ञानचन्द यादव ने बताया कि आदर्श नगर में शांति क्लब हुक्का बार पर कार्रवाई पर 12 हुक्का, 13 चिलम, 30 पाइप, 12 पैकेट फ्लेवर जन्त कर 8 व्यक्तिवों के कोटपा अधिनियम में चालान किए हैं। वहीं क्लब संचालक वीरसिंह जादीन पुत्र किशन सिंह (30) निवासी गांव

■ हुक्का पी रहे 10 युवक-युवतियों का चालान किया

महारपुर सरमथुरा धौलपुर के खिलाफ कोटपा अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। वहीं जवाहर सर्किल में ब्लैक कोड बार एण्ड कैफ पर दबिश देकर 4 हुक्का, 11 पाइप, 4 चिलम, 7 फ्लेवर के पैकेट जब्त कर दो लोगों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत चालान किए गए हैं। वहीं मैनेजर मोईन खान पुत्र इलियास खान (24) निवासी खान महील्ला, कुचामन सिटी नागौर को गिरफ्तार किया है।

## रोड से थड़ी-ठेलों को हटाया

जयपुर। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए यातायात पुलिस ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को पुलिस ने न्यू सांगानेर रोड पर यातायात में बाधा बनने वाले थड़ी व ठेलों को रोड़ से उलट दूरी पर लधाया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने पीक हॉवर्स सुबह 8 से 12 बजे तक एवं शाम को 4 से 9 बजे तक सुगम यातायात व्यवस्था

के लिए यातायात पुलिस को विशेष निर्देश दिए हैं। निर्देशों की अनुपालना में न्यू सांगानेर रोड सहित भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात में बाधित थड़ी-ठेलों को रोड से उचित दूरी पर लधाया। ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बस स्टैंड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन चालकों को व्यवस्थित रूप से यातायात संचालित करने के लिए समझाया गया।